



अवलोकन किया गया। निम्न बाद दर्ज रजिस्टर होकर वास्तु
सुनवाई हेतु दिनांक 06-8-19 को पेश हो।

(जसमीतसिंह संघू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
ब्यावर

6/8/19

वकुला.ए.फरी.उप./पी.ओ.सा.दीगर प्रशा. काया
व्यस्त/.....रा.ज.काया हेतु जयपुर.....
पधारे हैं। निम्न वास्ते नियत कायवाही हेतु पी.ओ.सा.के
समक्ष दिनांक.....14/8/19 को पेश हों।

14-8-19

वकील गार्गी डप. / वकील गार्गी को सुना गया।
पत्रावली का इकलौतन दिखा गया। वकील गार्गी
इपार्श्वगत के नोटिस तालवाना पेश करे जो
पेश होने पर जारी हो। पत्रावली दि. 11-09-19
को पेश हो।

(जसमीतसिंह संघू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर.
ब्यावर

11-09-19

वकील गार्गी डप. / गार्गी वकील की ओर से वकील सी
वीकम सिंह ने न्याय ने कालानामा पेश किया तथा गार्गी
वकील की ओर से वकील सी रजिस्टर काउंसिल ने इण्डरटेकिंग
प्रस्तुत की। वकील गार्गी ने यह जवाब स्वीकार कर मुक्त
जवाब दे दिए। पुनः नम्बर पर लिखे जाने का निर्देश
दिया। पत्रावली का इकलौतन दिखा गया। किन्तु अवलोकन
गार्गीना-पत्र में वर्णित कथनों तथा गार्गी की वाक्यांश के
तर्कों से अस्मत् होते हुए यह जवाब स्वीकार किया
जाता है तथा वकील गार्गीना पत्र दे दिए। पुनः नम्बर
पर लिखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह जवाब
कैसल मुक्त होकर नम्बर से कम हो तथा यह जवाब
वकील गार्गी दे दें।

(जसमीतसिंह संघू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
ब्यावर

पति वादीपति
2 की डीए
के डीए
रजि
Rah
रहमत का
11-9-19.

